9-7-2019

पत्रावली पेश हुई। पुकारवाद आई। वादी व वादी को पत्रावली के नियमानुसार आवाज दिलाई गई। बार-बार आवाज के बावजूद वादी व उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली दि० 14-8-2018 से वादी पक्ष की साक्ष्य में चल रही है। इस अवधि में नियत पेशियों पर वादी के गवाह व अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहे हैं लेकिन सहवन से प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार के जूनियर अधिवक्ता को वादी पक्ष के अधिवक्ता के बतौर आदेशिका में अंकन किया गया है। श्री तरुण मीणा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता हैं। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी व उसके अधिवक्ता लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
बार-बार आवाज दिलाये जाने के बावजूद वादी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। जिसका वाद वादी अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल कैफियत शुमार होकर नंबर से कम हो।	

Scanned by CamScanner